झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 में संशोधन हेतु एक संशोधन विधेयक।

भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

(i) यह विधेयक औद्योगिक विवाद अधिनियम (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

2. धारा-2 का संशोधन केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14 वाँ :-

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा-2 क की उपधारा-(3) - के प्रथम परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की उपरोक्त धारा-2 क की उपधारा-(3) - के प्रथम परन्तुक में 'तीन वर्ष' को 'तीन माह' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। "

यह विधेयक औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 45--50--3-8-2018